

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

होरैखाँ बनाम श्रीमती गुलसन (कॉरा)

रसम मुकदमा ..... सा-पग 111-120 ..... नं० ..... 07 ..... सन् 2022

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
---	----------------------------------	---

22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जादें । पत्रावली दिनांक 29.3.22 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल

3 पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथीगण उपस्थित, अप्राथीगण के सम्मन बाद वाकिल होकर प्राप्त हुए जिले शामिल फावली किया गया। तहसील प्रार माण्डल से माँ का रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा.पठ किया गया। अप्राथीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं, इनके विकर एक तरफा कार्यवाही छिपे जाने का अडेय किया जाता है। वकील प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय छपक से लिखा जाकर शा.पठ फावली किया गया। फावली के लल शुमार होकर मम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा